

1. भूमि का प्रकार — आवासीय फ्लेट
2. मौहल्ला / ग्राम स्थित मौजा बाकलपुर तहसील व जिला मथुरा अन्दरून श्रीजी गार्डन हाईट्स
3. सम्पत्ति का विवरण (फ्लेट नंबर — जो पर बना है और बिना छत्त सीलिंग तक बेचा जा रहा है
4. मापन की इकाई वर्गमीटर
5. सुपर एरिया वर्गमीटर
6. कार्पेट एरिया वर्गमीटर
7. Rera No project -
8. निर्माण का वर्ष — नया बना है
9. प्रतिफल की राशि — /—
10. स्टाम्प हेतु मालियत — /—
11. स्टाम्प देय — /— रुपये जिसमें से रु0 का जनरल स्टाम्प पेपर व /— रु0 का ई-स्टाम्प सर्टिफिकेट जो ई-स्टाम्प सर्टिफेट इस प्रलेख के साथ संलग्न है।
12. सरकारी दर /— रु0 वर्गमीटर जो नवीन रेट लिस्ट के पृष्ठ सं0..... क्रमांक पर दर्ज है। कार्यक्षेत्र उ0नि0 मथुरा प्रथम।

विक्रेता प्रथमपक्ष की संख्या (1)

विक्रेता का विवरण

मैसर्स बेरीबाल कन्सट्रक्शन मथुरा द्वारा अधिकृत साझीदार कृष्णकान्त गोयल पुत्र श्री अशोक गोयल निवासी 138 डी0 कृष्णा नगर, मथुरा विक्रेता प्रथमपक्ष पेन नंबर ए ए जे एफ बी 8518 के

क्रेता द्वितीयपक्ष की संख्या (1)

क्रेता का विवरण

जो कि एक किता फ्लेट नंबर — जो तल पर बना है जिसमें तीन कमरे एक डाईनिंगरूम / लोबी रसोई बालकनी टोयलेट बने हैं निर्माण वर्गमीटर जिसको संलग्न नक्शे में स्पष्ट रूप रंग लाल से दर्शाया गया है जिसकी सीमा यह है

पूरब —

पश्चिम —

उत्तर –

दक्षिण –

स्थित मौजा बाकलपुर तहसील व जिला मथुरा अन्दरून श्रीजी गार्डन हाईट्स जो खसरा नंबरान–248 की भूमि पर निर्मित है मिल्कियत विक्रेता प्रथमपक्ष की है जो बहुमंजिलीय आवासीय योजना श्रीजी गार्डन हाईट्स का भाग है जिस आवासीय योजना की पूरी भूमि को प्रथमपक्ष ने अन्य जमीन सहित बजरिये बेनामा दिनांक – 28.03.2011 जिसका निबंधन कार्यालय उ0नि0 मथुरा में बही नंबर – 1 जिल्द 7266 के सफा 101 / 138 नंबर – 4524 पर दिनांक 28.03.2011 हुई, शशांक गर्ग ने खरीदी और उस पर बहुमंजिला बिल्डिंग श्रीजी हाईट्स के नाम से कायम की कई है जिसका विन्यास मानचित्र मथुरा–वृन्दावन विकास प्राधिकरण मथुरा से सशोधित मानचित्र संख्या–116 / एम / 2010–11 दिनांक 12.04.2012 को स्वीकृत कराया जा चुका है स्वामित्वधारी व्यक्तियों ने एक साझेदारी फर्म मैसर्स बेरीबाल कन्स्ट्रक्शन के नाम से गठित कर उक्त बहुमंजिलीय बिल्डिंग विकसित की है जिस साझेदारी पत्र दिनांक 01.04.2010 के प्राविधानोंके अनुसार फर्म के साझीदार कृष्णकान्त गोयल को फर्म की ओर से विक्रय पत्र निष्पादित व रजिस्ट्री करने आदि को अधिकृत किया गया है। साझेदारी फर्म की सप्लीमेन्ट्री डीड दिनांक – 09.05.2013 को कायम कर उक्त श्रीजी गार्डन हाईट्स की भूमि क्रय कर उक्त फर्म में समाहित करदी गयी तत्पश्चात् निर्माण कार्य उक्त फर्म बेरीबाल कन्स्ट्रक्शन द्वारा किया गया और फर्म के द्वारा फ्लेटों का पूर्ण निर्माण कर तदोपरान्त बिक्री हेतु बुकिंग की गयी जिसके अन्तर्गत उक्त फ्लेट क्रेता द्वारा बुक कराया गया है। इस प्रकार उक्त फ्लेट विक्रेता प्रथमपक्ष के स्वामित्व व आधिपत्य का है जिसकी बावत विक्रेता प्रथमपक्ष को हर तरह के अधिकार मालिकाना व काविजाना तथा हस्तान्तरण आदि के प्राप्त हैं जो हर तरह के विवादों झगड़े झांझटों कर्जों जमानतों व हर प्रकार की देनदारियों से मुक्त पूर्णतः पाक साफ विक्रेता प्रथमपक्ष के ही स्वामित्व व आधिपत्य का है जिसमें अलावा विक्रेता प्रथमपक्ष के अन्य किसी का कोई हक हिस्सा व सम्बन्ध नहीं है न कोई ऐसा व्यक्ति अथवा वस्तु या कारण है, जो उक्त विक्रेता प्रथमपक्ष द्वारा उक्त फ्लेट के बेचे जाने में किसी भी प्रकार की रुकावट या बाधा पैदा कर सके। क्रेता एलीबेशन में कभी भी किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ व तोड़फोड़ या पेन्ट आदि में तब्दीली न कर सकेगा। वर्तमान में जो खिड़की पिंजर निकास हेतु कायम की गई है, वह यथावत कायम रहेगी उनमें विस्तार व तब्दीली न की जा सकेगी। बिल्डिंग के विकास व रख रखाव आदि सभी उद्देश्यों की पूर्ति के लिये निर्धारित सभी नियम व शर्तें खरीदार को मान्य होगी। जिसको संलग्न नक्शे में रंग लाल से दर्शाया गया है तथा हरे रंग से दर्शाया गया भाग शामलाती है तथा विक्रेता प्रथमपक्ष उक्त फ्लेट की शामलाती दीवार व निर्माण जो मौजूदा स्थिति में फर्श से सीलिंग तक 10 फीट बिक्री कर रहे हैं। फाउन्डेशन पिलर विक्रेता प्रथमपक्ष की मिल्कियत है व रहेगी जिन्हे द्वितीयपक्ष इस्तेमाल कर सकेगा। दो फ्लेटों की बीच की दीवार जो दोनों फ्लेटों के खरीदारों की शामलाती रहेगी जिन्हें यथावत कायम रखा जावेगा और फ्लेटों के मालिक उन्हें शामलाती इस्तेमाल कर सकेगे।

और टूट फूट मरम्मत आदि की स्थिति में शामलाती रूप से मरम्मात आदि करायेंगे व रख रखाव करेंगे फाउण्डेशन वेश बाली दीवार प्रथमपक्ष की है जिसे खरीदार द्वितीयपक्ष इस्तेमाल कर सकेगा।

यह स्पष्ट किया जा रहा है कि खरीदार या विक्रेता प्रथमपक्ष या उसके स्थानापन्न कोई भी ऐसा कार्य यानि दीवारों या छतों पर इस आशय की छेड़छाड़ व तोड़फोड़ न कर सकेंगे। जिससे बराबर वाली सम्पत्ति या ऊपर नीचे की फ्लेट के स्वामित्व धारकों को अपने फ्लेट इस्तेमाल करने में कोई बाधा उत्पन्न हो या कोई आर्थिक व शारीरिक व मानसिक क्षति पहुंचे यानि प्रत्येक क्षति के मुआवजे की अदायगी का जिम्मेदार मय सूद आदि के पीड़ा देने वाला पक्ष पीड़ित पक्ष का होगा। जिसकी बसूली का हक पीड़ित पक्ष को पीड़ा देने वाले पक्ष व उसके वारिसान व उसकी चल अचल सम्पत्ति से होगा उक्त फ्लेट प्रथमपक्ष ने द्वितीयपक्ष को सीलिंग तक बिना छत के हस्तान्तरित किया जा रहा है यानि प्रथमपक्ष ने द्वितीयपक्ष को फर्श से सीलिंग तक ही विक्रय किया है जिसके ऊपर व नीचे की सम्पत्ति का स्वामी प्रथमपक्ष व जिसको प्रथमपक्ष ने उक्त ऊपर या नीचे की सम्पत्ति का विक्रय किया हो या विक्रय करेगा होगा।

उक्त बेचे जाने वाली सम्पत्ति के अलावा किसी भी तल की सम्पत्ति को प्रथमपक्ष चाहे जिसको विक्रय कर सकेगा। विक्रेता विक्रय की जाने वाली सम्पत्ति के अलावा कोई भी नव निर्माण किसी भी तल पर कर सकेगा। द्वितीयपक्ष खरीदार कोई भी उज्ज किसी प्रकार का न कर सकेगा। भूतल पर कवर्ड पार्किंग क्षेत्र है भूतल को छोड़कर सभी तलों पर बिना बना हुआ भाग व झीना गैलरी व रास्ता उक्त इमारत का शामिलाती क्षेत्र माना जावेगा।

क्रेता द्वारा कौमन एरिया एवं बिल्डिंग की बाहर बाली दीवार पर किसी प्रकार की नेमप्लेट साइनबोर्ड विज्ञापन प्रकाशन विज्ञापन सामिग्री होडिंग एवं कपड़े नहीं टांग सकेगा छत के ऊपरी हिस्से टेरिस एवं टॉप फ्लोर पर एन्टीना डिश सेटेलाईट एवं कम्यूनिकेशन टावर नहीं लगवाया जा सकेगा। विक्रेता ने क्रेता को रजिस्ट्री के समय फ्लेट का मौके पर कब्जा कराया जो कि क्रेता को सौदे के नियम एवं शर्तों के अनुरूप है क्रेता विक्रेता पर निर्माण में कमी सामिग्री गुणवत्ता और किसी भी प्रकार की देरी (कब्जा से सम्बन्धित) पूर्णरूपेण सन्तुष्ट है और भविष्य में क्रेता विक्रेता पर इस सम्बन्ध में कोई क्लेम नहीं कर सकेगा। फ्लेट को केवल आवासीय उपयोग में लाया जा सकेगा। जिस आवासीय बिल्डिंग के रास्तों को वाहन व व्यवसायिक वाहन खड़े कर व सामान रख कर अवरुद्ध न किया जा सकेगा। ध्वनि प्रदूषण व अन्य किसी भी प्रकार का प्रदूषण कर या पशुपालन कर आवासीय बिल्डिंग की शांति को भंग न किया जा सकेगा। तथा भविष्य में बिल्डिंग के रास्तों व अन्य सभी सुविधाओं के रख रखाव की जिम्मेदारी फ्लेट क्रय करने वाले स्वामियों की प्रत्येक इकाई के रूप में वहन करने की होगी। विक्रेता को व्यक्तिगत रूप से इसके लिये उत्तरदायी न ठहराया जा सकेगा। भविष्य में बिल्डिंग के रख रखाव रास्तों व अन्य सभी सुविधाओं को कायम रखने व बढ़ाने की जिम्मेदारी विक्रेताओं द्वारा गठित व्यवस्था समिति

द्वारा की जावेगी इसका माहवारी व्यय 1000/- रूपये प्रतिमाह प्रतिफ्लेट क्रेता को देना होगा जो फ्लेट के पजेशन लेने की तारीख से क्रेता को देना अनिवार्य होगा जिन व्ययों को बढ़ाने का अधिकार समिति को होगा विक्रेता द्वारा कोई भी सौसायटी शुल्क नहीं लिया गया है क्रेता या उसके बारसान या स्थानापन्नों द्वारा पार्क व रास्तों का उपयोग अपने किसी वैवाहिक या अन्य आयोजनों में करना हो तो वह विक्रेता की पूर्व अनुमति से ही ऐसा कर सकेगा विक्रेता द्वारा कोई भी पावर बैकप नहीं दिया गया है सिर्फ लिफ्ट चलाने के लिये जनरेटर की व्यवस्था की गई है जिसका संचालन सौसायटी द्वारा किया जायेगा। उक्त सभी प्राविधानों का पालन क्रेता द्वारा अनिवार्य होगा अन्यथा की स्थिति में विक्रय पत्र शून्य किया जा सकेगा। अतः उक्त फ्लेट को समस्त अधिकारों सहित जो उसकी बावत विक्रेता प्रथमपक्ष को प्राप्त है या भविष्य में प्राप्त हो सकते हों उक्त सभी प्राविधानों की पूर्ण पाबन्दी के साथ व एवज रूपये में बहक

को बैकर्टइ कर दिया और बेच दिया और मूल्य का रूपया विक्रेता ने खरीदार से

द्वारा प्राप्त कर बेचे गये फ्लेट पर क्रेता का वास्तविक व मालिकाना आधिपत्य कराकर सुपुर्द कर दिया है क्रेता एक मात्र स्वामी फ्लेट का हो गया। जिसकी बावत वह कुल अधिकारात मालकाना व काविजाना तथा हस्तान्तरण आदि के उक्त प्राविधानों की पाबिन्दयों के साथ अपने प्रयोग में लावे और उसका खुद जो चाहे सो करें विक्रेता प्रथमपक्ष व उसके वारिसान या स्थानापन्नों को बेचे गये फ्लेट से कोई सम्बन्ध किसी भी प्रकार का शेष नहीं रहा और न आयन्दा होगा यदि बेचे गये फ्लेट के विक्रेता प्रथमपक्ष के स्वामित्व की बावत कोई विवाद उत्पन्न हो या ऋण भार पाये जावे तो उस कुल की अदायगी व जबाबदेही आदि कुल की जिम्मेदारी विक्रेता प्रथमपक्ष की होगी। और यदि क्रेता द्वितीयपक्ष द्वारा उक्त पाबिन्दयों का पालन न किया जावेगा तो हर्जे खर्च नुकसान आदि का जिम्मेदार क्रेता द्वारा उक्त पाबिन्दयों के साथ ही फ्लेट किसी अन्य को विक्रेता प्रथमपक्ष की अनुमति के साथ ही हस्तान्तरित किया जा सकेगा। बेचे जाने वाला फ्लेट नगर निगम मथुरा की सीमा के अन्दर है तथा 50 मीटर सराउडिंग में आवासीय भूखण्ड व फ्लेट है किसी भी प्रकार का कर जैसे जलकर ग्रहकर बिक्रीकर सर्विस कर यदि लागू होता है तो क्रेता द्वारा देय होगा। विक्रेता से उसका कोई सम्बन्ध नहीं होगा। यह प्रलेख दोनों पक्षों की उपस्थिति में उनके निर्देशानुसार उन्हे पढ़ा व दिखाकर निष्पादित किया गया है।

लिहाजा यह बैनामा वखुशी राजी खूब सोच समझ कर लिख दिया कि सनद रहे और समय पर काम आवें जिसके दोनों पक्ष क्रेता व विक्रेता व उनके वारिसान व स्थानापन्न आदि सदैव पाबन्द रहेंगे।

दिनांक

कम्प्यूटराईज्ड – गोपाल कृष्ण झारिया, मथुरा।

झापट किया – सुभाष कुमार चुर्वेदी एडवोकेट, मथुरा।